रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 1981/श्रावण 30, 1903
No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1981/SRAVANA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1981

का. आ. 661 (अ) :—पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्त विन्यास (केन्द्रीय) नियम, 1942 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पूर्त विन्यास (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1981 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पूर्त विन्यास (केन्द्रीय) नियम, 1942 के नियम 6 में कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द "(ग) और (घ)" के स्थान पर कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द "(ग), (घ) और (ङ)" रखे जाएंगे ।

[सं. एफ. 1/29/81-टी. सी. ई.]

मंगल दास पाल, निदेशक (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1981

S.O. 661(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Charitable Endowments (Central) Rules, 1942, namely :—

1. (1) These rules may be called the Charitable Endowments (Central) (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Charitable Endowments (Central) Rules, 1942, in rule 6, for the brackets, letters and word "(c) and (d)", the brackets, letters and word "(c), (d) and (ee)" shall be substituted.

[No. F. 1/29/81-TCE]

M. D. PAL, Director (Budget)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1981